



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-258219
CG-DL-E-24102024-258219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2024/कार्तिक 2, 1946

No. 606]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2024/KARTIKA 2, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2024

सं. 26/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 664(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम में, चतुर्थ अनुसूची में, शीर्षक "खनिज उत्पाद" के अंतर्गत, अध्याय 27 में,-

- (i) अनुपूरक टिप्पणियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पणियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
'अनुपूरक टिप्पणियां:

1. इस अध्याय में, भारतीय मानक ब्यूरो के किसी मानक का अर्थ उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण से संदर्भित है।
उदाहरण: IS 1459 का तात्पर्य IS 1459: 2018 से है न कि IS 1459: 1974 से।

2. टैरिफ मद 2710 19 33 के प्रयोजनों के लिए, शब्द “मिश्रित विमानन टर्बाइन ईंधन” का अर्थ है कोई भी विमानन टर्बाइन ईंधन जिसमें पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिज से प्राप्त तेलों का वजन 70% या उससे अधिक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आईएस 17081:2019 के अनुरूप संश्लेषित हाइड्रोकार्बन के साथ मिश्रित हैं;”

(ii) सारणी में, उप-शीर्षक 2710 19 के अंतर्गत, टैरिफ मद 2710 19 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2710 19 33	----	मिश्रित विमानन टर्बाइन ईंधन	किलोग्राम	14%”
-------------	------	-----------------------------	-----------	------

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-110267/42/2024-सीएक्स-VIII अनुभाग-सीबीईसी]

राजेश कुमार मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2024

No. 26/2024-Central Excise

G.S.R. 664(E).— In exercise of the powers conferred by section 3C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Fourth Schedule to the said Act, namely:—

In the said Act, in the Fourth Schedule, under the heading “MINERAL PRODUCTS”, in Chapter 27,—

(i) for the SUPPLEMENTARY NOTES, the following Supplementary Notes shall be substituted, namely:—

‘Supplementary Notes:

1. In this Chapter, reference to any standard of the Bureau of Indian Standards refers to the last published version of that standard.

Illustration: IS 1459 refers to IS 1459: 2018 and not to IS 1459: 1974.

2. For the purposes of tariff item 2710 19 33, the term “Blended Aviation turbine fuel” means any Aviation turbine fuel containing by weight 70% or more of Petroleum Oils or Oils obtained from Bituminous Minerals, blended with Synthesized Hydrocarbons conforming to Indian Standards Specification of Bureau of Indian Standards IS 17081:2019;”;

(ii) in the table, under the sub-heading 2710 19, after tariff item 2710 19 32 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“2710 19 33	----	Blended Aviation turbine fuel	kg.	14%”.
-------------	------	-------------------------------	-----	-------

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. CBIC-110267/42/2024-CX-VIII SECTION-CBEC]

RAJESH KUMAR MEENA, Under Secy.